परि [18/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 754]

कार्यालय मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर

क्र0 89 /तक./मु.अ./लो.स्वा.यां.वि./25 ग्वालियर दिनांक 21/02/2025

:: प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक 1047/94/ब–1/4 भोपाल दिनांक 20.10.1994 एवं प्रमुख अभियंता भोपाल के पत्र पृ.क्रमांक [illegible] /मोनि./दिनांक 10.4.1995 तथा पृ.कमांक 7764/प्र.अ./मोनि./दिनांक 21.8.1996 के द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रदत्त अधिकारों के तहत जिला सागर के विभिन्न विकासखण्डों में आंशिक पूर्ण श्रेणी/पेयजल समस्या ग्रस्त/300 मीटर की परिधि में सार्वजनिक पेयजल स्रोत की सुविधा से वंचित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के लिये नलकूप खनन कार्य की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सागर द्वारा दी गई है एवं अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर मण्डल सागर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार निम्नानुसार प्रशासकीय स्वीकृति 90 मीटर तक की गहराई के लिये नलकूप खनन हेतु प्रदान की जाती है :–

क.	विकास खण्ड	पंचायत का नाम	ग्राम/बसाहट का नाम	प्रस्तावित नलकूप	लागत (रु.लाख में)	तकनीकी स्वीकृति क्र. एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	बंडा	खुवारी	खुवारी	1	1.64	571/का.य./दि.13.11.2024
2	बंडा	पजनारी	पजनारी	1	1.64	570/का.य./दि.13.11.2024
3	बंडा	पाटन	नयाखेडा	1	1.64	569/का.य./दि.13.11.2024
4	बंडा	साजी	हटाखुर्द	1	1.64	568/का.य./दि.13.11.2024
5	बंडा	कांटी	कांटी	1	1.64	567/का.य./दि.13.11.2024
6	बंडा	साजी	रमपुरा	1	1.64	566/का.य./दि.13.11.2024
7	बंडा	धबोली	धबोली	1	1.64	576/का.य./दि.13.11.2024
8	शाहगढ	साजी	साजी	1	1.64	580/का.य./दि.13.11.2024
9	शाहगढ	रतनपुर	बंदरयाउ	1	1.64	582/का.य./दि.13.11.2024
10	शाहगढ	पलकाटोर	डुडयाखेरा	1	1.64	583/का.य./दि.13.11.2024
11	शाहगढ	बीला	बीला	1	1.64	584/का.य./दि.13.11.2024
			योग	**11**	**18.04**	

प्रशासकीय स्वीकृति की शर्ते निम्नांकित हैः–

01 जिन ग्राम/बसाहटों में उपरोक्तानुसार नलकूप खनन प्रस्तावित किये गये हैं उन ग्रामो मे जल निगम की समूह योजना एवं विभाग की एकल ग्राम योजनाओं के अंतर्गत कार्यो की पूर्णता नहीं हुई है उन ग्रामों में नलकूप खनन का कार्य आवश्यकतानुसार कराया जावे ।

02 जिन ग्राम/बसाहटों में 20 परिवार या उससे कम निवासरत हैं उनमे नलकूप खनन हेतु आवश्यकतानुसार प्राथमिकता देवें ।

03 वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात् ही कार्य कराये जावें जिससे देनदारियां निर्मित न हों एवे किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया जावे ।

04 जिस मद में आवंटन प्राप्त हुआ है उसी मद अंतर्गत ही नलकूप खनन का कार्य कराया जावे

05 ग्राम का पुनः सर्वेक्षण करें एवं वर्तमान में कार्य की आवश्यकता होने पर ही कार्य सम्पन्न कराया जावे ।

P-2015

06 90 मीटर से अधिक गहराई की आवश्यकता होने पर पूर्व सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य कराया जावे ।

07 म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के पत्र पृष्ठांकन कमांक एफ 8–03/2017/2/34 भोपाल दिनांक 01.06.19 में दिये गये निर्देशों अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें ।

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर

पृ0क0 591 तक./मु.अ./लो.स्वा.यां.वि./25 ग्वालियर दिनांक 21/02/2025

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सागर की ओर पत्र कमांक 402 दिनांक 14.02.2025 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. आदेश नस्ती ।

संलग्न :– योजनायें मूलतः वापिस
कमांक 3 के लिए

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर